पत्रांक 800/3-5-2011 एम एस कैम्प/2020
दिनांक 21/05/2020

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित ''एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी'' की दिनांक 19.05.2020 को मध्यान्ह 12:00 बजे बापू भवन, द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू कार्ययोजना के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति पर चर्चा हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित ''एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी'' की दिनांक 19.05.2020 को बापू भवन, द्वितीय तल स्थित सभाकक्ष में बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी की अनुमति से बैठक का प्रारम्भ करते हुए अवगत कराया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित नॉन अटेन्मेन्ट शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु लागू कार्ययोजना की अद्यतन प्रगति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों हेतु निर्धारित कार्यबिन्दु के ससमय एवं समुचित क्रियान्वयन हेतु माइक्रो प्लान निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 30.06.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को प्रेषित किया जाना है। बैठक में माइक्रो प्लान तैयार किये जाने हेतु प्रपत्र संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया गया। माइक्रो प्लान से संबंधित सूचना किसी विभाग द्वारा अभी तक नहीं दी गयी है। यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.06.2020 तक सूचना नहीं उपलब्ध कराये जाने की दशा में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा रू0 5.00 लाख प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड निर्धारित किया गया है।

अग्रेतर यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित नगरों में से **वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ** में वायुगुणता में सुधार लाये जाने के दृष्टिगत मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर्स, वाटर स्प्रिंकलर, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सुविधा, शुद्धीकृत एस0टी0पी0 के छिड़काव से ड़स्ट सेपरेशन कार्यो हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रथम किश्त की धनराशि को संबंधित नगरों के नगर निगमों को अवमुक्त किया जा चुका है। इसी प्रकार वृक्षारोपण से संबंधित कार्यो की धनराशि भी प्रभागीय वनाधिकारियों को आवंटित की जा चुकी है। इस संबंध में आंवटित लक्ष्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की आख्या नगर निगमों से वांछित है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण की योजना भी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

C-Lab
20/05/2020
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

2— बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि **वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ** नगरों में वायु प्रदूषण के दृष्टिगत विभिन्न स्त्रोतो के प्रतिशत अंश आदि से संबंधित सोर्स अपोर्शनमेन्ट अध्ययन का कार्य लखनऊ नगर में टेरी, नई दिल्ली से तथा गाजियाबाद में आई0आई0टी0, दिल्ली से तथा शेष 03 नगरों में उक्त कार्य आई0आई0टी0, कानपुर से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य 09 नगरों यथा मुरादाबाद, नोएडा, खुर्जा, गजरौला, रायबरेली, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद तथा झांसी नगरों में रैपिड सोर्स अपोर्शनमेन्ट एवं कैरिंग कैपेसिटी अध्ययन संबंधी कार्य आई0आई0टी0, कानपुर से कराया जा रहा है। **वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर लखनऊ** नगरों में मोबाइल इनफोर्समेन्ट की स्थापना तथा प्रदेश के अन्य नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में सतत् परिवेशीय

वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापना आदि के प्रगति के संबंध में बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

बैठक में सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा प्रदेश के विभिन्न नगरों में कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में लागू लॉकडाउन अवधि में प्राप्त हुए वायुगुणता के आंकड़ों से अवगत कराया गया तथा यह संज्ञान में लाया गया कि लॉकडाउन अवधि में जबकि प्रदेश में वायु प्रदूषण के कतिपय स्त्रोत यथा वाहनों का आवागमन, निर्माण कार्य, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि प्रतिबन्धित रहने के वावजूद भी वायुगुणता के प्रमुख प्रचालकों में पी0एम0 10 का मान 127 से लेकर 172 माइक्रोग्राम/घनमी0 तथा पी0एम0 2.5 का मान 37 से लेकर 61 माइक्रोग्राम/घनमी0 पाया गया है। राष्ट्रीय परिवेशीय वायुगुणता के मानकों के अर्न्तगत 24 घण्टे की अवधि हेतु निर्धारित मानकों में इन प्रचालको हेतु क्रमशः 100 माइक्रोग्राम/घनमी0 तथा 60 माइक्रोग्राम/घनमी0 का मानक निर्धारित किया गया है। पूर्णतयाः लॉकडाउन होने के उपरान्त भी उक्त प्रचालकों में पी0एम0 10 का मान निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम/घनमी0 के अनुरूप नहीं पाया जा सका है। लॉकडाउन की अवधि में इस प्रचालक का प्राप्त मान को संज्ञान में लेते हुए इससे संबंधित मानकों को पुनरीक्षित किये जाने हेतु अभिमत दिया गया।

3– **बैठक के दौरान चर्चा में लाये गये उक्त बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–**

1. प्रदेश के चिन्हित 15 नॉन अटेन्मेन्ट शहरों की वायुगुणता में सुधार लाये जाने हेतु लागू कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की अद्यतन स्थिति तथा कार्यबिन्दुओं की माइक्रोप्लानिंग की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में दिनांक 15.06.2020 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जायें।

   (कार्यवाही– नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गृह विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, परिवहन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन तथा राज्य आपदा प्राधिकरण)

2. नगरों की परिवेशीय वायुगुणता में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 प्रचालक के मानकों को लॉकडाउन के दौरान किये गये वायुगुणता के अनुश्रवण के आधार पर पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता की पुष्टि हेतु तकनीकी परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से करा लिया जाये तथा वायुगुणता में पी0एम0 10 तथा पी0एम0 2.5 मानकों के तकनीकी रिर्पोट के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

   (कार्यवाही– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

3. नेशनल क्लीन एअर प्रोग्राम के अर्न्तगत आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी नगरों हेतु आवंटित लक्ष्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निर्धारित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध कराया जाये।

   (कार्यवाही– नगर विकास विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)

4. **उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गयी आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी नगरों हेतु** विन्डरोज स्टडी के आधार पर चिन्हित

दिशाओं/स्थलों पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष वृक्षारोपण की योजना तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जाये तथा वर्ष–2020–21 हेतु वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही– प्रभागीय वनाधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)

उक्त सूचनाएं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के ई–मेल ceolab@uppcb.com, **तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के ई–मेल** soenvups@rediffmail.com पर ससमय प्रेषित की जाये।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या– 479 /81–7–2019–09(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक : 20 मई, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहर नियोजन/ लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/परिवहन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ कृषि/ उद्यान/खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।।
5. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
7. डॉ0 सच्चिदानन्द त्रिपाठी, प्रोफेसर, आई0आई0टी0, कानपुर।
8. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, ईस्ट/वेस्ट, एन0एच0आई0 लखनऊ।
10. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4/5, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।